

विजनय पोस्टर के अन्तगत डाक
शुल्क के संगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रपण हेतु अनुमत. क्रमांक
जी. 2. 2. छत्तीसगढ़ राजपत्र 38/11 से
भिन्नाहं. ति. नांक 30/11/2011



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/29/2/11" 1012

Chhattisgarh
Loksewa
Guarantee
Act 2011

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 344]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2011—पौष 10, श. 1933

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-27-2/2011/नो/17.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदान शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/ अधिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कार्यालय कलेक्टर रायपुर	मानव अंग प्रत्यागपण प्रकरण	30 कार्य दिवस	कलेक्टर, रायपुर	आयुक्त, रायपुर संभाग	सचिव, स्वास्थ्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	उप स्वास्थ्य केन्द्र	संस्थागत प्रसव अनुदान राशि का भुगतान (जननी सुरक्षा योजना)	प्रसव तिथि से 07 कार्य दिवस	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संस्थागत प्रसव अनुदान राशि का भुगतान (जननी सुरक्षा योजना)	प्रसव तिथि से 07 कार्य दिवस	चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	खण्ड चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संस्थागत प्रसव अनुदान राशि का भुगतान (जननी सुरक्षा योजना)	प्रसव तिथि से 07 कार्य दिवस	खण्ड चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	संभागीय संयुक्त संचालक
5.	जिला अस्पताल	संस्थागत प्रसव अनुदान राशि का भुगतान (जननी सुरक्षा योजना)	प्रसव तिथि से 07 कार्य दिवस	सिविल मर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	संभागीय संयुक्त संचालक
6.	सिविल अस्पताल	संस्थागत प्रसव अनुदान राशि का भुगतान (जननी सुरक्षा योजना)	प्रसव तिथि से 07 कार्य दिवस	मुख्य अस्पताल अधीक्षक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	संभागीय संयुक्त संचालक
7.	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें	मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना अंतर्गत सहायता अनुदान के आवेदन का निराकरण.	30 कार्य दिवस	नोडल अधिकारी संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें	संचालक स्वास्थ्य सेवायें	आयुक्त स्वास्थ्य
8.	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें	मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना अंतर्गत सहायता अनुदान के आवेदन का निराकरण.	30 कार्य दिवस	नोडल अधिकारी संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें	संचालक स्वास्थ्य सेवायें	आयुक्त स्वास्थ्य
9.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा सिविल मर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक	परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत नसबंदी आपरेशन के दौरान या 07 दिवस के अंदर मृत्यु एवं असफल आपरेशन की क्षतिपूर्ति मांग राशि का प्रकरण तयार कर पोपल करना.	60 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा सिविल मर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक	संभागीय संयुक्त संचालक	संचालक स्वास्थ्य सेवायें
10.	जिला मेडिकल ऑडि	1. स्थानों निशक्ता प्रमाण पत्र. 2. अस्थायी निशक्ता प्रमाण पत्र. 3. फिटनेस प्रमाण पत्र	07 कार्य दिवस	सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	संयुक्त संचालक